विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वितीय सहायता देने के लिए स्कीम

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय में विधि के क्षेत्र में हिंदी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग और प्रचार के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वितीय सहायता देने के लिए एक स्कीम है । अनुदान उन्हीं संस्थाओं को दिया जाएगा जो भारत के संविधान में उल्लिखित किसी भाषा में निम्नलिखित में से कोई कार्य करती हैं, जैसे कि :-

1. विधि की मौलिक पुस्तकों की रचना और प्रकाशन,
2. विधि की मानक पुस्तकों या गौरव ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन,
3. विधि शब्दकोश निर्माण और प्रकाशन,
4. निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन,
5. कोई अन्य प्रकाशन जो हिंदी या किसी अन्य राजभाषा का विधि के क्षेत्र में विकास और प्रचार करें, और
6. प्रादेशिक भाषाओं में उन कृतियों के लिए अतिरिक्त अनुदान देने पर भी विचार किया जाएगा जिनके साथ उनका हिंदी पाठ संलग्न हो ।

आवेदन-पत्र और स्कीम की प्रति हमारी वेबसाइट website **www.legislative.gov.in पर उपलब्ध है ।**

सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तारीख 31 दिसम्बर, 2024 तक इस कार्यालय में हार्ड कापी या ई-मेल के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए ।

अतिरिक्त जानकारी और आवेदन-पत्र के लिए संपर्क करें :

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग,
राजभाषा खंड, कमरा सं. 725, 'ए' विंग. 7वां तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
फोन न. 23386229.
ईमेल- brajesh.74@gov.in
फैक्स न. 011-23387051

CBC-24302/12/0001/2425